व अन्य परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार।

8. घरेलू हिंसा के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित कथन की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार।

9. किसी खतरे के बचाव से पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेने का अधिकार।

10. जैसे ही पीड़ित महिला घरेलू हिंसा की शिकायत करती है और न्यायालय में किसी अनुतोष के लिए आवेदन करती है तो अंतरिम आधार पर उसे अनुतोष प्रदान किया जायेगा।

11. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की कोई शिकायत घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से जानी जायेगी।

संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति – अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अनुसार राज्य शासन द्वारा हर जिले में एक या जरूरत पड़ने पर एक से अधिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। संरक्षण अधिकारी के पद पर जहां तक हो सके महिलाओं की ही नियुक्ति की जायेगी।

न्यायालयीन कार्यवाही – कोई व्यक्ति, जो विश्वास करने का कारण रखता है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है या ऐसा कार्य किया जाना संभावित है तो वह उसके बारे में संरक्षण अधिकारी को सूचना देना। संरक्षण अधिकारी स्वयं शीघ्र बिना विलंब किये, यथा संभव स्वयं की संतुष्टि उस सूचना के बारे में करके, घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा।

मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला या संरक्षण अधिकारी अथवा पीड़ित महिला की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करेगा और वह पीड़ित व्यक्ति तथा प्रतिप्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवश्यक संरक्षण आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश, आर्थिक आदेश पारित करेगा, मजिस्ट्रेट उक्त संबंध में अंतरिम और एकपक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है।

इस कानून के तहत दोषी पाये जाने पर आरोपी को जेल की सजा जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं अगर किसी केस में संबंधित अधिकारी को अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह अथवा आरोपी से मिला हुआ या संरक्षण आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाये तो उसे सजा के साथ–साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

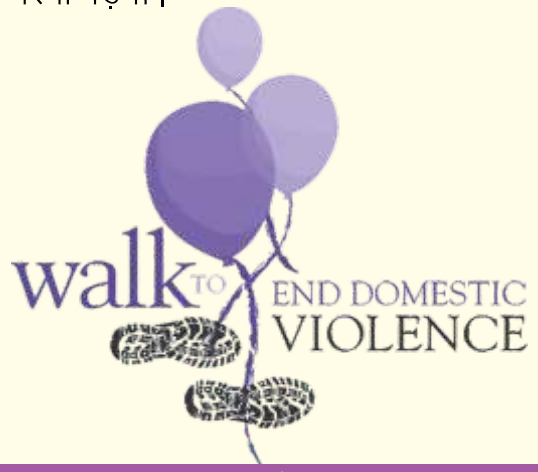

नारी की उन्नति और अवनति पर ही
राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है।
– अरस्तू

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं नियम

सशक्त नारी सशक्त समाज

Stop THE DOMESTIC VIOLENCE

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in
ईमेल: mplsajab@nic.in
Tollfree No. : 15100

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं नियम

भारत में महिलाओं के प्रति "घरेलू हिंसा" ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है हालांकि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कई कानून बने, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" के मामले रूके नहीं या यूं कहिये कि उनसे बच निकलने के रास्ते तलाश लिये गये। संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी ने वर्ष 1989 में यह अनुशंसा की कि समस्त सदस्य देशों को महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा परिवार/कुटुम्ब के भीतर घटित हो रही हो। इन परिस्थितियों में "घरेलू हिंसा" से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समाज में "घरेलू हिंसा" घटित होने को रोकने के लिए संसद ने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशाली हुआ।

इसके तहत "घरेलू हिंसा" के लिए दोषी व्यक्तियों को तत्संबंधित विधि में न केवल सजा संबंधी प्रावधान है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधा, आश्रय की सुविधा और बच्चों के बारे में संरक्षण की सहायता के भी प्रावधान हैं।

क्या है घरेलू हिंसा ?

कानून में "घरेलू हिंसा" की व्यापक परिभाषा दी गई है अधिनियम 2005, की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित हिंसा कृत्य किये जाते हैं तो वह "घरेलू हिंसा" माना जायेगा :–

1. शारीरिक हिंसा– जैसे मारपीट करना, लात मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना या अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना आदि।

2. लैंगिक हिंसा– जैसे बलात लैंगिक मैथुन, अश्लील साहित्य/तस्वीरों को देखने के लिए मजबूर करना, लैंगिक प्र.ति का कोई अस्वीकार कार्य, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार आदि।

3. मौखिक और भावनात्मक हिंसा– जैसे अपमान, गालियां देना, पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने के लिए अपमान करना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, विवाह के लिए मजबूर करना, अपनी पसंद के व्यक्ति के लिए विवाह करने से रोकना आदि।

4. आर्थिक हिंसा– महिला को किसी आर्थिक/वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, वेतन पारिश्रमिक की आय को ले लेना या महिला की सम्पत्ति को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि।

"घरेलू हिंसा" से पीड़ित महिला को निम्नलिखित अधिकार हैं –

1. संरक्षण अधिकारी से उक्त अधिनियम के तहत मिलने वाली सहायता और राहत की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

2. "घरेलू हिंसा" कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों के लिए संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार।

3. "घरेलू हिंसा" के शिकार हुये घर में न रहने का अधिकार।

4. स्त्री धन आभूषण, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को वापिस कब्जे में लेने का अधिकार।

5. चिकित्सकीय सहायता, आश्रय, परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

6. घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक, मानसिक क्षति प्राप्त करने का अधिकार।

7. की गई शिकायत, आवेदनों, चिकित्सकीय